MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

International Multilingual Research Journal

Vidyawarta™

Issue-11, Vol-03, July to Sept.2015

Harshwardhan Publication Pvt. Ltd.
VIDYAWARTA
ISSN-2319 9318
PRINTING AREA
ISSN-2394-5303
International Multilingual Research Journal

Editor
Dr.Bapu G. Gholap

34

महिला सशक्तिकरण में आय एवं रोजगार का प्रभाव

श्रीमती ग्रेसेन्सिया टोप्पो
सहा प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महा. सीतापुर

महिलाओं की बदलती हुई परिस्थितियों ने एक ओर नई–नई चुनौतियां पैदा की है तो दूसरी ओर उपलब्धियों के नये अवसर भी उपस्थित हो हुए है। स्वतंत्र भारत में नारी को समान स्थान मिलना, घर की सीमा से बाहर निकलना तो हुआ, किन्तु अनेक विसंगतियां और द्वंद्व भी इसी परिवेश की देन है। महिलाओं में जैसे–जैसे आर्थिक समृद्धि आयी है वैसे–वैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने के नये अवसर प्राप्त हुए है। महिलाओं के कामकाजी बनने से परिवार का आय स्तर ऊंचा उठने लगा है। महिलाएं स्वयं को अधिक शिक्षित, आधुनिक एवं अपनी संतानों के लिए भी अच्छी व बेहतर शिक्षा एवं सुख सुविधा जुटाने लगी है, शिक्षा के विकास ने उनमें संचार एवं आवागमन के साधन के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाए है। आर्थिक आत्मनिर्भरता से नवीन सम्पत्तियों का निर्माण, आरामदायक एवं विलासतापूर्ण वस्तुओं के उपभोग एवं उच्च जीवन स्तर की प्रेरणा मिली है। महिलाओं की मनोवैज्ञानिक दशा में परिवर्तन उनकी परम्परागत प्रतिबंध को शिथिल करने लगे है।

वहीं दूसरी ओर आर्थिक आत्मनिर्भरता ने चुनौतियों को पैदा किया है, महिलाओं की आर्थिक सम्पन्नता ने कई पुरूषों के अधिकारों को ठेस पहुंचाया है, कई के परिवारों में दरार एवं अशांति आने लगी है। लेकिन सच यही है कि आज की जागरूक हो चुकी महिलाओं को दबाने के बजाय पुरूषप्रधान समाज नारी को एक मानव के रूप में पहचानने की आदत डालें। क्योंकि शिक्षा आय एवं रोजगार ने आज महिलाओं का समाज में एक नया प्रतिमान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सम्पत्ति एवं रोजगार से आय का सृजन होता है। यहां रोजगार का अर्थ काम का मिलना है और काम के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त होती है, आमदनी कहलाती है। रोजगार व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा सम्मान दिलाता है वहीं आय व सम्पत्ति से पुनः सम्पत्ति का सृजन होता है, आय अपने आप में कोई साध्य नहीं होता अपितु साध्य के लिए साधन होता है, ये तो सुस्त खोतों को उत्प्रेरित करते है और व्यक्ति के नाम को राष्ट्रों की पंक्तियों में उच्च स्थान दिलाते है। इतना उत्कृष्ट स्थान दिलाने वाला साधन क्या भारतीय महिलाओं के पास है। प्राचीन आर्थिक व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन लेखों में क्रमबद्ध नहीं मिलते, इनका संकेतिक वर्णन पुरातत्वेत्ताओं, तत्कालीन पौराणिक गाथाओं , नीति कथाओं, धार्मिक शास्त्रों के अवलोकन एवं उस समय अक्षरों के स्थान में चित्रों की लिखावट से प्राप्त होती है। प्राचीन विचार अधूरे, अस्पष्ट एवं अवैज्ञानिक है बावजूद वर्तमान अध्ययन में मददगार है।

मानव सभ्यता का विकासक्रम एवं नारी :– मातृसत्तात्मक समाज में नारी

आखेट युग जिसमें मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, तब नारी न अबला मानी जाती थी और न ही हेय दृष्टि से देखी जाती थी। सभी मनुष्य एक समान थे। सामूहिक रूप से शिकार को जाना और शिकार मिलने पर उसका सामूहिक रूप से उपभोग, न कोई सम्पत्ति न कोई परिवार बस मानव समूह था। बच्चों की पहचान मां के नाम पर ही होती थी। उस मातृ प्रधान समाज में कबीले की पहचान भी कबिले की मुख्य स्त्री द्वारा ही होती थी। स्त्री भी पुरूष की भांति सारे काम करती थी, जैसे–शिकार पर जाना, फल तोड़ना, हथियार बनाना, युद्ध करना तथा जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाना आदि। जितना ऊंचा स्थान एवं सम्मान स्त्रियों को इस युग मे मिला फिर दोबारा वह सम्मान उसे आज तक प्राप्त नहीं हो सका। यही धर्मयुग (सतयुग) था जहां सब बराबर थे। पुरूष स्त्री की पूजा करता था।

कबिलाई समाज में नारी :–

प्राकृतिक विपदाओं एवं जंगली जानवरों के भय से समूह

बनने लगा। एक कबिले दूसरे कबिले से पूर्व समूह में तैयारिक गठबंधन कर लेता था। इस काल में भी सभी उपलब्ध वस्तुएं पूरे समूह की होती थी जिन्हें सामूहिकता में ही खाते पीते बांटते थे। मातृसत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना इसी काल में हुई क्योंकि प्रकृति से हजारों साल सम्पर्क –संघर्ष से आदमी ने आग की खोज कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और नारी को अपने अधीन रखा।

पितृसत्तात्मक समाज में नारी :–

कृषि युग शुरू हुआ पुरूष जंगलों से बाहर आकर खेती करना सीख गया तो उसमें संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। चूंकि सम्पत्ति को पुरूष अर्जित करता था अतः उस पर वह अपना निजी अधिकार समझने लगा जैसे–जैसे उसकी सम्पत्ति बढ़ती गई, नारी के अधिकार छिनते गए। आग को जलाए रखने के साथ साथ नारी घर के आवश्यक कार्य करती थी। पति के लिए उसका महत्व सिर्फ उत्तराधिकारियों को पैदा करना, घर की देखभाल करना, उसकी सम्पत्ति के साथ–साथ उन दासियों पर भी निगाह रखना था जिनको वह जब चाहे उप पत्नि बना सकता था। स्त्री के लिए विवाह एकनिष्ठ था, पुरूष के लिए नहीं। परिवार का पहला रूप प्राकृतिक, व्यक्तिगत, यौन, प्रेम का परिणाम न होकर आर्थिक कारणों पर आधारित था।

नारी ने आखेट युग की अपनी समानता, सम्मान एवं अस्मिता की रक्षा के लिए लम्बे अरसे तक खूब संघर्ष किया लेकिन कबिले की टूटना –बिखरना, व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रादुर्भाव, परिवार की स्थापना के रूप में बदली हुई आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों ने धीरे धीरे उसे घर की बेजान दीवारों में जिंदा दफन कर दिया।

दास युग में नारी :–

कबिलाई समाज के सामूहिक जीवन के खत्म हो जाने पर कबीले में जो प्रबंध और रक्षा का काम करते थे, वे स्वामी बन गए और शेष लोग सम्पत्ति अभाव में गुलाम में बदल गये। ये गुलाम स्वामी के सम्पत्ति होते थे जो उनका अपने मनमाफिक उपयोग करते थे इसमें गुलामों की औरतें भी शामिल थीं।

गुलामों की सम्पत्ति को लूटने का आम रिवाज था। शायद यही समय था जब नारी को गुलाम बनाने की शुरूआत हुई। जैसे–जैसे उत्पादन के साधन और विभाजन पर पुरूष का अधिकार होता गया, औरत को उसके हिस्से और विभाजन से अलग कर दिया गया। इस तरह व्यक्तिगत सम्पत्ति ने महिला को भी एक सम्पत्ति में बदल दिया। पुरूष नेतृत्व में पितृसत्तात्मक परिवार की शुरूआत हुई।

सामंती समाज में नारी :–

जब हल से बड़े पैमाने पर खेती होने लगा दास विद्रोहों ने दास युग को खत्म किया। इससे भूपति राजा और उसके अधीनस्थ जागीरदारों, जमींदारों ने सामंती समाज में किसान जनता को खेतों और गांवों की जागीरों से बांध लिया। इस युग में नारी पूरी तरह पुरूष के अधीन थी, जो बचपन में पिता, युवावस्था में पति और पति के मरने पर विधवा की स्थिति में पुत्र उसका रक्षक था। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त नारी पुरूष के संरक्षण में रहगी, न उसका कोई सपना होगा, न आशा आकांक्षा होगी, बस पुरूष की सेवा, उसकी इच्छा के अनुरूप आचरण और उसे सुख संतोष देना ही उसका धर्म है तय किया गया।

पूंजीवादी व्यवस्था में नारी :–

ज्ञान–विज्ञान का विकास हुआ। मशीनों के कारण उत्पादन की शक्तियां बढ़ी और जब पुराने सामंतवादी रिश्ते समाज के विकास को रोकने लगे तो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे के नये विचारों ने समाज में नई चेतना उत्पन्न करके राजशाही के लिये मौत का फरमान जारी कर दिया। राजाओं– सामंतों की सत्ता का अवसान हुआ और स्वतंत्र स्त्री–पुरूषों, श्रमिकों, कर्मचारियों को लेकर उद्योग और व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ माना गया कि अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर होकर पुरूष की अधीनता से उसके दमन–उत्पीड़न से मुक्त हो सकती है लेकिन सच यह भी था कि धार्मिक आडम्बर, रूढ़िगत विचार, परम्परागत सामाजिक संस्कार सभी ने मिलकर अंधकार का ऐसा परिवेश नारी जीवन के चारों तरफ निर्मित कर दिया था कि उसे तोड़ सकना सहज संभव नहीं था यहां पे वे जो आर्थिक विचारक है उनका कहना सही साबित हो रही है कि "प्राचीन सिद्धांत व मान्यताएं कभी भी नहीं मरते, वे केवल धीरे–धीरे धूमिल हो जाते है परन्तु उचित वातावरण में पुनः जीवित हो जाने की अनोखी शक्ति उसमें मौजूद रहती है।" नारी

के साथ भी यही हो रहा है । मध्यकाल में खोयी शक्ति कलयुग में नारी को वापस होती दिखाई दे रही है। १९वीं सदी से नारी की परिस्थितियों की तस्वीर में सुधार आ रहा है।

समाजवादी समाज और नारी :—

इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अपनी —अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप काम करने का अवसर मिला अर्थात राजसत्ता ने महिला को बराबरी का अधिकार दिया, बराबरी का मतलब समान काम का समान वेतन, विवाह और तलाक में बराबरी का अधिकार, समान शिक्षा, हर काम और क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता, लिंगभेद की समाप्ति आदि। यह पहल रूस का था किन्तु पूर्वी यूरोपीय देशों ने भी महिला को एक हद तक बराबरी और स्वतंत्रता तक पहुंचा दिया। इसके पीछे जो सोच थी कि महिला स्वतंत्रता का मतलब सम्पूर्ण समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खांचे पर प्रश्न करना, उसे बदलना और उस आधार पर महिलाओं के मुद्दे को देखना।

विकास क्रम की इन्हीं मार्क्सवादी अवधारणाओं को अर्थशास्त्र में आखेट युग, चारागाह युग, कृषि युग, औद्योगिक युग कहा जाता है और धर्मशास्त्र में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के रूप में विवेचना की गई है।

मानव सभ्यता का विकासक्रम और नारी के ऐतिहासिक साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि जहां कहीं भी स्त्रियों ने पुरूषों के साथ अर्थोपार्जन और घर को चलाने में हिस्सेदारी निभाई है, वहां उनकी सामाजिक प्रस्थिति पुरूषों के समान रही है पर कुछ भी हो दीर्घ काल से ही पुरूषों ने स्त्रियों पर शासन किया और उसके बदले में स्त्रियों ने अपने मूलभूत अधिकारों को समर्पित किया। अतः स्त्रियों का आगामी जीवन अब उनके ही हाथों में है, जिस स्थिति पर वे नहीं रहना चाहती अब उस स्थिति पर उन्हें कोई रख नहीं सकता।

शताब्दियों से अवहेलित अशिक्षित एवं दासी समझी जाने वाली स्त्री अब पुरूषों द्वारा बनाये गये नियमों के विरूद्ध आवाज उठाने लगी है, अपने अधिकार की मांग करने लगी है अर्थात् स्त्रियों की जीवन शैली में अभूतपूर्व परिवर्तन घटित हुआ है इसमें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ा है। अतः इसका उल्लेख आवश्यक है।

संविधान और महिला :—

संविधान की धारा १४,१५ एवं १६ विकास प्रक्रिया में महिला को समान अवसर देने की बात करती है। संविधान के नीति निर्देशानुसार सिद्धांत भी महिला को न्याय, स्वतंत्रता और समता की गारंटी देते है। धारा ३१ (अ),(डी) और (ई) महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर पाने का समान काम का समान वेतन और स्वस्थ की सुरक्षा को सुनिश्चित करते है, अब संविधान के ७३वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ३३ प्रतिशत आरक्षण देकर जमीनी स्तर से सशक्तिकरण की जा रही है।

महिलाओं के सम्पत्ति कानून एवं अधिकार :—

महिला अपने लिए, अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सके आदमियों की तरह ही, औरतों को भी सम्पत्ति का मालिक होने का हक है, सरकार ने कानून बनाये है जो इस प्रकार है —

१. हर औरत अपने लिए, अपने नाम से सम्पत्ति खरीद सकती है या रख सकती है।

२. कोई औरत अपनी सम्पत्ति का जो चाहे कर सकती है, चाहे वह उसे मिले हो या उसकी कमाई भी हो।

३. हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद लें। वह उन पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।

महिला सशक्तिकरण के अनुकूल भारतीय संविधान में कानून बने है और उन्हें एक पुरूष तरह ही सभी अधिकार भी प्राप्त है कानूनों ने महिलाओं के हितों का संरक्षण किया है।

महिला सशक्तिकरण :—

१९वीं शताब्दी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में काम करने लगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सफलता के झण्डें गाड़ने शुरू कर दिये तो दुनियां भर में महिला सशक्तिकरण की बातें की जाने लगी। उस समय भी समाज में अनेक ऐसी परम्पराएं मौजूद थी जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का प्राणी मानती थी और विकास की दौड़ में महिलाएं , पुरूषों से काफी पीछे थी। महिलाओं की इस गिरी हुई स्थिति के मूल कारण दो थे प्रथम महिलाओं में शिक्षा का अभाव दूसरा महिलाओं में

आर्थिक निर्भरता। अतः दुनिया की आधी आबादी की जाने वाली महिलाओं के सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करके उन्हें स्वारोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वर्ष २००१ में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया तथा राष्ट्रीय महिला शक्ति समानता नीति २००१ घोषित की। जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य से संबंधित साधनों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। जिससे की महिलाए अपनी परम्परागत दब्बू प्रवृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बन सकें।

यह एक स्थापित सत्य है कि आर्थिक विकास के बिना बाकी सभी विकास बेमानी है इसलिए उन्हें रोजगार देने तथा आर्थिक विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए। जैसे— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना आदि में महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। इसके बाद सन् १९९८ में केन्द्र सरकार द्वारा 'स्वाशक्ति' नामक योजना चलाई गई। इसका महिलाओं के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे :—

१. स्वयं के नाम सम्पत्ति अर्जित करना।
२. कन्या शिक्षा के स्तर का बढ़ना।
३. महिलाओं में स्वयं के खान—पान, स्वरूप तथा प्रजनन के प्रति जागरूकता का बढ़ना।
४. स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के एक स्थान से दूसर स्थान में आना जाना करना।
५. अपने वोट का अपने विवके से उपयोग करना।
६. परिवार में बच्चों की संख्या तय करना।
७. सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में प्रबंधकीय भूमिका का निर्वाहन करना।
८. स्वयं के प्रति होने वाले घरेलू एवं बाहरी हिंसा का विरोध करना।
९. महिलाओं में मनोवैज्ञानिक दशाओं में परिवर्तन आना।
१०. महिलाओं द्वारा संरक्षण के कानूनों, अधिकारों का उपयोग करना।

पितृसत्तात्मक समाज में पुरूष ने महिला के कार्य क्षेत्र को उसकी शक्ति अनुरूप विभाजित कर उसे घर के चार दीवारों में कैद कर रखा था, महिला के कार्यों को उसका कर्तव्य बताया गया , लम्बे समय से स्वयं को दासता से छुटकारा दिलाने के प्रयास, में २१वीं सदी में महिलाएं शिक्षा, रोजगार एवं आय के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनकर अपने आप में जो परिवर्तन लाने में सफल हुई है। इसे आर्थिक शक्ति का परिणाम ही कहा जा सकता है। आर्थिक सशक्तिकरण के बाद अन्य सशक्तिकरण स्वतः ही आ जाता है, सही साबित हो रहा है। महिलाओं को शिक्षा ने उन्हें चार दीवारों से बाहर निकाला है पूर्व की सफल महिलाओं ने उन्हें प्रेरित किया है जिससे महिलाएं कामकाजी बनने लगी है किन्तु आज दोहरी जिम्मेदारियों के कारण उनके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो निम्न है —

१. स्वयं के लिए समय कम होना।
२. स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव।
३. दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूल प्रभाव।
४. औपचारिक जीवन में वृद्धि।
५. दोहरी जिम्मेदारी का बोझ आदि।

परिवार का आकार छोटा होने से उनके दायित्वों के निर्वहन में आयी कमी, घरों में महिलाओं के हाथों से बनने वाली सामग्रियों के बाजार में उपलब्ध होने से महिलाओं का खाली समय बढ़ गया, शिक्षित महिलाओं ने अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए स्वयं को आज कामकाजी महिला बनाया है, वही बढ़ती महंगाई ने कम पढ़ी लिखी एवं अशिक्षित महिलाओं को स्वसहायता समूहों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं श्रमिक के रूप में काम कर अर्थसर्जन कर रही है लेकिन जिस खाली समय, ने उन्हें घर से बाहर निकाला, आज उसी खाली समय के लिए महिलाएं मोहताज बन रही है। दोहरी जिम्मेदारियों में पिसती जा रही है लेकिन इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इन विपरीत परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है। जैसे जिस तरह महिलाएं घर की जिम्मेदारियों की तरह बाहर की जिम्मदारियों को उत्साह, मेहनत एवं ईमानदारी से सम्पन्न करने लगी है उसी तरह परिवार वालों को महिला की घरेलू कार्यों में सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थलों से घर वापसी में देर होने पर अनावश्यक प्रश्न व विवेवद करना, महिलाओं को बाहरी कार्यों के प्रति निरूत्साह

उत्पन्न करता है। इसमें परिवार को धैर्य एवं विश्वास करने की आवश्यकता है। महिला अपने कार्यस्थलों में हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को जैसे –रोगी,बच्चों, बुजुर्गो एवं रिश्तेदारों (मेहमानों) की खातिरदारी का दायित्व निर्वाहन परिवार को करने की आवश्यकता है। निश्चित ही आय एवं रोजगार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है, महिला के कामकाजी बनने से पूरे परिवार को लाभ हुआ है। बढ़ती महंगाई, आर्थिक परेशानी, घरेलू क्षेत्र में निर्मित चीजो का आसानी से बाजारों में उपलबधता ने शिक्षित महिलाओं को कामकाजी बनने के लिए प्रेरित किया है, शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षित महिलाओं को बाहरी कार्यो को सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। साथ ही कम पढ़ी लिखी या अशिक्षित महिलाओं को स्वसहायता समूह एवं स्वयं सेवी संगठनों से अधिकाधिक जोड़ने, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने तथा महिलाओं को स्वयं जागरूक होने की अति आवश्यकता है। साथ ही सम्पूर्ण उत्पादन संरचना में महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचित किये जाने एवं देश के आर्थिक विकास में महिलाओं के आर्थिक योगदान को अलग से आंकलन की आवश्यकता है जिससे की नारी अपनी वास्तविक सम्मान को हासिल कर सके।

संदर्भ :–

१. भारत में कार्यशील महिलाएं – अंजली शर्मा
२. भारतीय महिला एवं आधुनिकीकरण – मोजम्मिल हसन आरजू (१६)
३. भारतीय समाज में नारी का अवधारणात्मक स्वरूप – रमा शर्मा, एम.के.शर्मा (२०५)
४. महिलाओं के मौलिक अधिकार –रमा शर्मा, एम.के. शर्मा (३९)
५. नारी के बदलते आयाम – डॉ. राजकुमार (१२१)
६. स्त्री, परम्परा और आधुनिकता – राजकिशोर (१५१)
७. आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास – सब्यासाची भट्टाचार्य (४)
८. स्त्री शिक्षा डॉ. रेणु त्रिपाठी, डॉ. अपर्णा त्रिपाठी (११)
९. कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति –डॉ. रेणु चौधरी, डॉ. अपर्णा चौधरी–३५,१२८,१३८

35

कुपोषण : एक सामाजिक अपराध (म. प्र. के विशेष संदर्भ में)

डॉ. उषा सिंह,
प्राध्यापक
शासकीय कन्या महाविद्यालय,टीकमगढ़ (म.प्र.)

एच.पी.सिंह,
महासचिव
म.प्र.राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, टीकमगढ़ (म.प्र.)

देश में म.प्र. कृषि उत्पादन के मामले में लगभग एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया है उसे दो बार कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरुस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। म.प्र. ने गेहूँ उत्पादन में बढ़त बनाई है वहीं सोयाबीन और अन्य दलहनों के उत्पादन में संतोषजनक उपलब्धि हुई है सरकार लगातार कृषि को ''लाभ का सौदा'' बनाने पर जोर दे रही है उसने सिंचाई क्षमताओं में वृद्धि दर्ज की है वहीं उत्पादक क्षेत्रफल का रकवा भी बढ़ा है बुवाई का रकवा बढ़ा वहीं उन्नत बीज वितरण व खाद वितरण के कारण किसानों में उत्साह है कृषि से आम आदमी की आय बढ़ी है अतः म.प्र. के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और म.प्र. बीमारू राज्य से बाहर आया है पर म.प्र. में कुपोषण का बढ़ता ग्राफ बहुत बड़ी चिंता का कारण है इसका सीधा तात्पर्य है कि अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है एक तरफ भौतिक संसाधनों में बृद्धि हुई है वहीं एक ऐसा गरीब तबका है जो दो जून की रोटी अपने बच्चों को खिलानें में समर्थ नहीं है उनकी अत्यधिक गरीबी इसका भूल कारण है।

क्या कहते हैं आँकड़े ? :–

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ सर्वेक्षण – ३ (एन. एफ.एच.एस.–३) की रिपोर्ट म.प्र. के लिए चिंताजनक